PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Thursday 11th December 2014, Page: 10
Width: 12.41 cms, Height: 15.62 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-12.28.17

25 निरीक्षकों के हवाले 30 हजार दवा की दुकानें

बेंगलूरु

bangaluru@patrika.com

ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2013-14 में करीब 54 दवा दुकानदारों के खिलाफ घटिया और बिना प्रेस्क्रिप्शन दवा बेचने के आरोप में मुकदमे दायर किए गए, लेकिन इसके बावजूद ड्रग कंट्रोल विभाग में केवल एक चौथाई दवा निरीक्षक नियुक्त हैं। इतना ही नहीं, मंजूर किए गए सहायक दवा नियंत्रकों के 60 पदों में से सात की जगह अभी भी रिक्त है, जबकि राज्य की 30 हजार से ज्यादा दवा दुकानों, 594 विनिर्माण इकाइयों, 184 ब्लडं बैंक और 167 रक्त भंडारण केंद्रों पर निगरानी की जिम्मेदारी निरीक्षकों की ही होती है। प्रदेश में 112 दवा निरीक्षकों के पद में से 87 पद रिक्त हैं।

दो वर्ष में 131 को सजा

दवा दुकानों के अलावा विनिर्माण इकाई, कॉस्मेटिक विनिर्माण इकाई, ब्लड बैंक, अधिकृत लैब और रक्त भंडारण केंद्रों की समय-समय पर जांच, रिपोर्ट, अदालत की कार्रवाई में उपस्थित रहना, सबूत जुटाने की जिम्मेदारी भी दवा निरीक्षकों की होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 में करीब 54 दवा दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए। इस साल अब तक और 77 मामले अदालत पहुंच चुके हैं। करीब 1 हजार 257 दवा की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। ज्यादातर मामलों में दुकानदार घटिया दवा, नकली दवा और बिना प्रेस्क्रिप्शन दवा बेचने के दोषी पाए गए। दवा की दुकानों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के कारण भी पहले से अधिक दुकानदार नियम तोड़ने के मामले में पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जाने वाले लोगों में ऐसे दुकानदार भी हैं जो या तो बिना लाइसेंस दुकान चला रहे हैं या फिर फार्मेसिस्ट के बिना दवाओं की बिक्री करते हैं।

नहीं अखरने दी कमी

विभाग में एक तिहाई निरिक्षकों की कमी होने के बावजूद औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम और औषधि (मूल्य नियंत्रण) के अंतर्गत राज्य के औषधि नियंत्रक विभाग ने गत दो वर्ष में नकली व बिना प्रेस्क्रिप्शन दवा देने वाले 131 दवा दुकानदारों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।

ये है हाल

- 112 दवा निरीक्षकों के पद में से 87 पद रिक्त
- समय पर नहीं हो पाती जांच प्रक्रिया
- पिछले साल 54 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज
- इस साल अब तक दुकानदारों के खिलाफ 77 मामले अदालतों में पहुंचे

सजा दर 50 फीसदी से अधिक

स्टेट ड्रग कंट्रोलर डॉ.रघुराम भंडारी का कहना है कि कोर्ट में पहुंचने वाले मामलों में सजा दर 50 फीसदी से अधिक है। हर साल दवा की बढ़ती दुकानों के साथ काम करने का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। इस वर्ष मार्च तक 25 अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वैज्ञानिक और दस्तावेज आधारित सबूतों के कारण ऐसे मामलों की सफलता दर बढ़ी है।

Regulatory